


<p>तारिख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.25/2023</p>	<p>नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म को तामिल में जारी हुए</p>
<p>10.4.2023</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही अनुपस्थित। प्रतिवादी रामलाल पुत्र हिदाराम जी देवासी, जाति-देवासी, निवासी- मेन रोड, सिरौडी, तहसील- रेवदर, जिला- सिरौही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म तिरुपति ट्रेडिंग कम्पनी, मेन रोड, सिरौडी, तहसील- रेवदर, जिला- सिरौही अनुपस्थित।</p> <p>आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध आवेद खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव द्वारा दिनांक 14.10.2022 को दौरानें गश्त फर्म तिरुपति ट्रेडिंग कम्पनी, मेन रोड, सिरौडी, तहसील- रेवदर, जिला- सिरौही में प्रतिवादी रामलाल से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ आम का अचार (बागवान ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-1891 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./1794/Act/2022/1787 दिनांक 07. 11.2022 में मिथ्याछाप (Misbranded) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 52 के तहत प्रतिवादी के विरुद्ध प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। जिस पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 05.4.2023 को प्रतिवादी रामलाल ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया। जिस पर प्रतिवादी को सुना गया। प्रतिवादी ने अनुरोध किया कि वह छोटा व्यापारी है। उसने खाद्य पदार्थ आम का अचार (बागवान ब्राण्ड) को अन्य फर्म से खरीद किया था एवं जिस स्थिति में खरीद किया हुआ उसी स्थिति में विक्रय किया है, उसने इसमें कोई मिलावट नहीं की है। खाद्य पदार्थ आम का अचार (बागवान ब्राण्ड) का बिल कही गुम हो गया है। मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ आम का अचार (बागवान ब्राण्ड) के निर्माण, विक्रय व पैकिंग हेतु मुख्य रूप से निर्माता फर्म दोषी है। वह भविष्य में ऐसी खाद्य सामग्री विक्रय नहीं करुंगा। यह मेरा प्रथम अपराध है। अतः कम से कम जुर्माना करावे।</p> <p>हमने सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 14.10.2022 को दौरानें गश्त समय 2.30 पी.एम. पर खाद्य पदार्थों के निरीक्षण हेतु फर्म तिरुपति ट्रेडिंग कम्पनी, मेन रोड, सिरौडी, तहसील- रेवदर, जिला- सिरौही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से</p> <p>.....लगातार</p>	



प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरौही-307001.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.25/2023	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए
	<p> प्रतिवादी रामलाल पुत्र हिदाराम जी देवासी, जाति- देवासी, निवासी- मेन रोड, सिरोडी, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता को खाद्य पदार्थ आम का अचार (बागवान ब्राण्ड) का विक्रय करता है। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म तिरुपति ट्रेडिंग कम्पनी, मेन रोड, सिरोडी के निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग में आने वाले खाद्य पदार्थ आम का अचार (बागवान ब्राण्ड) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना मौके पर उपस्थित गवाह श्री देवाराम के समक्ष प्रपत्र 5ए में विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता रामलाल को भरकर दी व रसीद प्राप्त की। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दुकान के अन्दर बिक्री हेतु मौजूद खाद्य पदार्थ आम का अचार (बागवान ब्राण्ड) के 28 पैकड जार (प्रत्येक 500 ग्राम) में से खाद्य पदार्थ आम का अचार (बागवान ब्राण्ड) के 4 पैकड जार (प्रत्येक 500 ग्राम) को वास्ते नमूना जांच क्रय किया एवं उसकी कीमत राशि रुपये 400/- (अक्षरे रुपये चार सौ मात्र) विक्रेता रामलाल को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-1891, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ आम का अचार (बागवान ब्राण्ड) आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा आम का अचार (बागवान ब्राण्ड) के प्रत्येक पैकड जार पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया और प्रत्येक नमूना जार को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-1891 को नियमानुसार गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को नियमानुसार सील चपडी किया व प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर कराये व आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता, गवाह व खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक-एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की की दो-दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग-अलग बन्द कर गोंद सेलगातार </p>	




अ
 अति. जिला मजिस्ट्रेट
 सिरोही-307001.

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.25/2023	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम के इतिहास में जारी हुए
	<p>चिपकाकर लिफाफों को सील चपड़ी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 17.10.2022 को नमूने का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री विश्वजीत, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 14.10.2022 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म तिरुपति ट्रेडिंग कम्पनी, मेन बाजार, सिरोडी, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही में प्रतिवादी रामलाल से खाद्य पदार्थ आम का अचार (बागवान ब्राण्ड) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की विधिवत कार्यवाही करते हुए जांच हेतु नमूने का एक भाग मय फार्म नम्बर 6 के सीलबन्द लिफाफे के खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाया गया है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ आम का अचार (बागवान ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-1891 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./1794/Act/2022/1787 दिनांक 07.11.2022 के अनुसार खाद्य पदार्थ आम का अचार (बागवान ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-1891 मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है। प्रकरण में, यह तथ्य भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी रामलाल पुत्र हिदाराम जी देवासी, जाति- देवासी, निवासी- मेन रोड, सिरोडी, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म तिरुपति ट्रेडिंग कम्पनी, मेन बाजार, सिरोडी, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही ने प्रकरण की अनुसंधान के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी को खाद्य पदार्थ आम का अचार (बागवान ब्राण्ड) के क्रय का बिल प्रस्तुत नहीं किया एवं न ही इस न्यायालय में ऐसा कोई बिल प्रस्तुत किया है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी रामलाल पुत्र हिदाराम जी देवासी, जाति- देवासी, निवासी- मेन रोड, सिरोडी, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म तिरुपति ट्रेडिंग कम्पनी, मेन रोड, सिरोडी, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही ने मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ आम का अचार (बागवान ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।</p> <p>अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य</p> <p style="text-align: right;">.....लगातार</p>	




 प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
 सिरोही-307001.

<p>तारिख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.25/2023</p>	<p>नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुकम कीतामिल में जारी हुए</p>
	<p>पदार्थ आम का अचार (बागवान ब्राण्ड) का विक्रय करने के कारण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा- 52 के तहत प्रतिवादी रामलाल पुत्र हिदाराम जी देवासी, जाति- देवासी, निवासी- मेन रोड, सिरोडी, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म तिरुपति ट्रेडिंग कम्पनी, मेन रोड, सिरोडी, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही पर राशि रुपये राशि रुपये 2,500/- (अक्षरे रुपये दो हजार पांच सौ मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। साथ ही, प्रतिवादी रामलाल को आदेशित किया जाता है कि उक्त आरोपित जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 7 दिवस में जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 11.5.2023 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><i>a</i> (के.आर.खौड़) अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सिरोही</p>	